राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

पत्रावली संख्या प.12(13)/Lites(1)/राज/वाद/2018 जयपुर, दिनांकः– 18-01-19

राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की नियुक्ति,तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं जवाब दावों का संचालन लाईटस सॉफ्टवेयर से किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके कम में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.09.18 के द्वारा निम्न दिशा निर्देश जारी किये गये थे उक्त के कम में पुनः स्मरण पत्र जारी कर आग्रह कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाया जावें।

1– सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों के द्वारा भविष्य में अधिवक्ताओं की नियुक्ति लाईटस सॉफ्टवेयर से की जावे एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट व जवाब दावों का संचालन लाईटस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जावे।

2– विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठों के द्वारा भविष्य में अधिवक्ताओं की नियुक्ति लाईटस सॉफ्टवेयर की जावे एवं इस हेतु सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों के द्वारा प्रकरण लाईटस सॉफ्टवेयर में दर्ज कर पत्रावली अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु विधि विभाग को प्रस्तुत की जावे।

3– श्रीमान महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्तागण की विशेष फीस पर नियुक्ति एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति लाईटस सॉफ्टवेयर से की जावे।

4– श्रीमान महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्तागण के द्वारा विशेष फीस के फीस बिल लाईटस सॉफ्टवेयर से तैयार कर आदेश दिनांक 17.09.2012 के अनुसार हार्ड प्रति में विधि विभाग को प्रस्तुत किये जावे।

5– श्रीमान अतिरिक्त महाधिवक्तागण, एडवोकेट ऑन रिकार्डस व पैनल अधिवक्तागण द्वारा पैरवी फीस बिल लाईटस सॉफ्टवेयर से तैयार कर आदेश दिनांक 10.02.1987 के अनुसार हार्ड प्रति में विधि विभाग को प्रस्तुत किये जावे।

6– वरिष्ठ अधिवक्ता के फीस बिल संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्तागण, एडवोकेट ऑन रिकार्डस व पैनल अधिवक्तागण द्वारा लाईटस सॉफ्टवेयर से तैयार कर आदेश दिनांक 17.09.2012 के अनुसार हार्ड प्रति में विधि विभाग को प्रस्तुत किये जावे।

7– श्रीमान महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्तागण, सभी राजकीय अधिवक्तागण,एडवोकेट ऑन रिकार्डस, पैनल अधिवक्तागण द्वारा लाईटस सॉफ्टवेयर की वेबसाईट के लॉगइन व पासवर्ड न्याय विभाग से प्राप्त किये जावे।

8– विधि विभाग के प्रकोष्ठ 4,5, 6 व 7 के विधि अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं राजकीय वादकरण विभाग के विधि अधिकारियों के लाईटस सॉफ्टवेयर की वेबसाईट के लॉगइन व पासवर्ड न्याय विभाग से प्राप्त किये जावें।

विधि विभाग के प्रकोष्ठ 4,5, 6 व 7 के विधि अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं राजकीय वादकरण विभाग के विधि अधिकारियों के एवं श्रीमान महाधिवक्ता,अतिरिक्त महाधिवक्तागण, सभी राजकीय अधिवक्तागण पैनल अधिवक्तागण,एडवोकेट ऑन रिकार्डस के लॉगइन व पासवर्ड तथा उक्त मॉड्युल के संचालन का आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाने एवं संचालन मैन्युल जारी करने तथा मॉड्युल में आवश्यकतानुसार समय–समय पर संशोधन किये जाने का कार्य न्याय विभाग द्वारा किया जावेगा।

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव,विधि

पत्रावली संख्या प.12(13)/Lites(1)/राज/वाद/2018 जयपुर, दिनांकः– 18-1-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव न्याय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव राजस्थान जयपुर।
8. महाधिवक्ता राजस्थान जयपुर।
9. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता,जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता / वरिष्ठ अधिवक्ता/ वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता/,एडवोकेट ऑन रिकार्डस अतिरिक्त नई दिल्ली।
11. राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उप राजकीय अधिवक्ता/सहायक राजकीय अधिवक्ता जयपुर/जोधपुर।
12. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान।
13. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी / सहायक विधि परामर्शी/वरिष्ठ विधि अधिकारी,विधि विभाग।
14. प्रशासक वादकरण जयपुर/जोधपुर।
15. समस्त जिला कलक्टर।
16. समस्त लोक अभियोजक।
17. प्रोग्रामर विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. सहायक लेखाधिकारी राजकीय वादकरण विभाग जयपुर
19. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
20. रक्षित पत्रावली।

(जगमोहन शर्मा)
शासन विशिष्ट सचिव,
विधि (वादकरण) विभाग

52